## महत्वपूर्ण एवं खास

### घर से नकदी 62 लाख से अधिक रकम पार

रायपुर (आरएनएस)। ग्राम रवेली स्थित घर से अज्ञात चोर ने कार्टून में रखे नकदी 62 लाख 71 हजार 880 रुपए पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर मुजाहिद पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी बाल मुकुंद सोनकर 44 वर्ष कमल बाड़ी ग्राम रवेली का रहने वाला है। प्रार्थी ने थाना में शिकायत किया कि अज्ञात चोर ने प्रार्थी के घर में प्रवेश कर दीवान के अंदर रखे कार्टून में से नकदी 62 लाख 71 हजार 880 रुपए पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर मुजाहिद पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

### नाबालिग से दुष्कर्म का वीडियो बनाकर किया वायरल, तीन गिरफ्तार

कोरबा (आरएनएस)। जिले के बांकी मोंगरा थानाक्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार शाहिद अंसारी नाम के युवक ने अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड को अपने दोस्त रामचंद्र साहू के घर ले जाकर उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया। इस दौरान रामचंद्र साहू ने दुष्कर्म का अश्लील वीडियो बना लिया तथा विडियो को अपने एक अन्य साथी ताकिर अली को भेज दिया। ताकीर ने उक्त वीडियो को सोशल मिडिया में वायरल कर दिया। लड़की को जब इस बात की जानकारी हुई कि उसका वीडियो बनाकर आरोपी ने अपने दोस्तों को भेजा है तो इसकी शिकायत पुलिस से की। जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जिन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।

### झाड़ियों में मिला अर्धनग्न शव

बलौदाबाजार (आरएनएस)। जिले के ग्राम रवान में स्थित अंबुजा अडानी सीमेंट के कोल ब्लाक के बगल से बह रहे नाले के पास झाड़ियों में शनिवार को अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया साथ ही जांच में जुट गई है। शव की शिनाख्त नही हो पाई है। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम रवान में स्थित अंबुजा अडानी सीमेंट के कोल ब्लाक के बगल से बह रहे नाले के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा किया। पुछताछ में किसी ने भी मृतक की पहचान नही की। बताया जाता है कि मृतक के शरीर पर अंडरवियर के अलावा कोई भी कपड़ा नहीं है। वहीं लाश आठ से दस दिन पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल अज्ञात व्यक्ति कौन है उसका पता नहीं चल रहा है। फिलहाल कोतवाली पुलिस थाने में गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट और आसपास के थाने में सूचना भिजवाकर परिजनों की पतासाजी में जुटी है।

### नकबजनी का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

रायपुर (आरएनएस)। राखी पुलिस ने दो सूने मकानों का ताला तोडक़र चोरी करने वाला आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की चांदी के जेवरात, 01 नग आईफोन, 01 नग लैपटॉप, 01 नग प्रिंटर, 01 नग डी.एस.एल.आर. कैमरा, 01 ट्राईपॉड, की-बोर्ड एवं कार्टेज जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी थान सिंग ने थाना राखी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह नवा रायपुर सेक्टर 27 स्थित ब्लॉक नंबर 52 रूम नंबर 301 में परिवार सहित रहता है। प्रार्थी दिनांक 08.10.2024 को दोपहर में अपने घर में ताला लगाकर परिवार सहित अपने पैतृक गांव गया था। दिनांक 13.10.2024 को प्रार्थी के पड़ोसी ने प्रार्थी को फोन कर बताया कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है। जिस पर प्रार्थी सपरिवार आकर देखा तो उसके घर के दरवाजे में लगे गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो कमरे में रखा सामान बिखरा हुआ था तथा बेड के अंदर रखें सोने एवं चांदी के जेवरात, नगदी रकम तथा एच.पी.लेजर जेट को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था।

# व्हाट्सएप में दूसरे की डीपी लगाकर लाखों रूपये की ठगी, राजस्थान के पांच अंतर्राज्यीय ठग गिरफ्तार

रायपुर | आरएनएस

सोशल मिडिया साईट व्हाट्सएप पर किसी अन्य व्यक्ति की डीपी लगाकर उसके लाखों रूपयों की ठगी करने के मामले में रायपुर पुलिस ने राजस्थान से पांच अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से कई मामलों में ठगे गये बीस लाख रूपये तथा आठ नग मोबाईल फोन भी बरामद किया है।

मिली जानकारी के अनुसार कविता नगर अवंति विहार रायपुर में रहने वाले प्रार्थी सन्नी जुमनानी ने थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह सोनल पैनल का व्यापार करता है। प्रार्थी के भाई बंटी जुमनानी का मित्र पुनीत पारवानी है। दिनांक 08.11.2024 को प्रार्थी के भाई के मोबाईल फ ोन में मोबाईल नंबर 9727630576 के धारक जिसके व्हाट्सएप में उसके दोस्त पुनीत पारवानी का डीपी लगा हुआ था, से व्हाट्सएप कॉल कर स्वयं को पुनीत पारवानी निवासी रायपुर होना तथा वर्तमान में अपने आप को दिल्ली में होना बताकर जरूरी काम के लिए पैसों की मांग किया। जिस पर प्रार्थी के भाई बंटी जुमनानी द्वारा दिल्ली निवासी अपने मित्र सिकू को फ ोन कर मोबाईल नंबर 9727630576 के धारक को पुनीत पारवानी समझकर पैसा नगद देने कहा जिस पर सिकू द्वारा व्यक्ति से संपर्क कर चांदनी चौक दिल्ली में व्यक्ति को 05 लाख रूपये नगद दिया गया। प्रार्थी का भाई कुछ दिन बाद अपने दोस्त पुनीत पारवानी से संपर्क कर रूपये वापस मांगा तो पुनीत पारवानी द्वारा कोई रकम नहीं लेना बताया गया। इस प्रकार मोबाईल नंबर 9727630576 के धारक द्वारा प्रार्थी के भाई बंटी जुमनानी के मित्र पुनीत पारवानी का व्हाट्सएप में डीपी लगाकर तथा स्वयं को पुनीत पारवानी बताकर उससे लाखों रूपये प्राप्त कर धोखाधड़ी किया गया। मामले की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में धारा 318(4) बी एन एस का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्रमांक संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन अजय कुमार (भा.पु.से), उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह, थाना प्रभारी सिविल लाईन एवं प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को अज्ञात आरोपी की जल्द से जल्द पतासाजी कर गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया।

जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी एवं उसके भाई बंटी जुमनानी से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा प्रार्थी के भाई के मोबाईल फोन में जिस मोबाईल नंबर से कॉल कर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया था, उस मोबाईल नंबर का तकनीकी विश्लेषण करने के साथ ही अन्य तकनीकी साक्ष्यों व माध्यमों से अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान घटना में संलिप्त अज्ञात आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई तथा आरोपियों की उपस्थिति राजस्थान में होना पाया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को राजस्थान रवाना किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा राजस्थान में आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में आरोपी सुरेश पुरोहित एवं वैभव जैन को पकड़ा गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर घटना के मुख्य आरोपी सुरेश पुरोहित एवं वैभव जैन द्वारा अपने अन्य साथी खानू खान, स्वरूप सिंग एवं हैदर के साथ मिलकर ठगी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। जिस पर घटना में संलिप्त आरोपी खानू खान, स्वरूप सिंग एवं हैदर को भी पकड़ा गया।

सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ठगी की नगदी रकम 20 लाख रूपये तथा घटना से संबंधित 8 नग मोबाईल फ ोन जुमला कीमत लगभग 28 लाख रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

मामले में पुलिस ने सुरेश पुरोहित पिता कालू सिंग उम्र 30 साल निवासी हीरो एजेन्सी के पास ओटवाल रोड थाना सायला जिला जालोर राजस्थान, वैभव जैन पिता नरेन्द्र जैन उम्र 24 साल निवासी महावीर जी जैन रेस्टोरेन्ट जिला करोली राजस्थान, खानू खान पिता सज्जन खान उम्र 24 साल निवासी ग्राम रतौब तहसील बयातु थाना गेडा जिला बाडमेर राजस्थान, स्वरूप सिंग पिता रतन सिंग उम्र 35 साल निवासी खबडाला तहसील गडरा रोड थाना गिराब जिला बाडमेर राजस्थान तथा हैदर पिता शेरू खान उम्र 28 साल निवासी बनदेवा तहसील पोखरण थाना फलसुन्ड जिला जैसलमेर राजस्थान को गिरफ्तार किया है तथा आरोपियों के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में धारा 318(4) बी एन एस का अपराध किया गया है व पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी स्वरूप सिंग एवं सुरेश पुरोहित पूर्व में भी धोखाधड़ी के प्रकरण में दिल्ली से जेल निरूद्ध रह चुके है।

## ट्रिपल मर्डर मामले में हत्यारा गिरफ्तार, भाई से नाराजगी में कर दी प्रेमिका की परिवार सहित हत्या

बलरामपुर | आरएनएस

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में मिले तीन मानव कंकाल तथा उनकी पहचान व हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामले में इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम मुख्तारी अंसारी बताया जा रहा है जिसने अपने भाई से नाराजगी के चलते भाई की प्रेमिका उसकी मां तथा उसके भाई की हत्या कर दी थी। आरोपी ने पुलिस को बताया उसके भाई द्वारा घर पर पैसे ने भेजने तथा प्रेमिका पर ज्यादा खर्च करने को लेकर नाराज था।

बता दें कि बलरामपुर के थाना कोतवाली में 15 नवंबर की सुबह 7:15 बजे पारसनाथ पिता बेदी राम निवासी महाराजगंज ने सूचना दी कि उसके ग्राम दहेजवार (कंचनपुर) में स्थित धान खेत में मानव कंकाल (हड्डी व खोपड़ी) पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल एफएसएल व जिला बलरामपुर पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची। टीम के द्वारा घटना स्थल से 3 मानव कंकाल का हड्डी, खोपड़ी, कपड़ा, पायल आदि जब्त किया गया। पुलिस द्वारा जिले के समस्त थाना व सरहदी जिलों में दर्ज गुमशुदगी मामलों की जानकारी ली गई। इस दौरान लाश के पास मिले कपड़ो से गुम इंसान कौशल्या पति सूरजदेव ठाकुर 35 वर्ष, 17 वर्षीया नाबालिग और मिन्टू ठाकुर पिता सूरजदेव ठाकुर 5 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 01 के रूप में की गई। साथ ही पता चला कि तीनों कुसमी से 26 सितम्बर को अपने घर से कुतमी बाजार जाने के लिए निकले थे, जिसके बाद से वापस घर नहीं लौटे। मृतिका कौशल्या ठाकुर के पति सूरजदेव ठाकुर के द्वारा 5 अक्टूबर को थाना में गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। घटना स्थल से जब्त कंकाल, खोपड़ी व हड्डियों का डॉक्टरों की टीम के द्वारा जांच करवाई गई। डॉक्टरों के द्वारा हत्या होना बताया, जिस पर अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। परिजनों से पूछताछ करने पर बताया गया। उनके घर मुख्तार अंसारी 38 वर्ष निवासी परसवार जिला गढ़वा (झारखण्ड) व उसके भाई का आना जाना रहता था। मोख्तार झाड़फूंक का काम करता था। जिसके बाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी को झारखण्ड से पकड़ा तथा कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उसके भाई का मृतक नाबालिग लड़की के साथ प्रेम संबंध था। उसका भाई पूरा पैसा उनपर खर्च करता था जो उसे पसंद नहीं था। छोटा भाई घर में पैसे नहीं भेजता था और पूरे पैसे लड़की पर ही खर्च करता था। इस बात से परिजन काफ ी नाराज रहते थे। इसी का बदला लेने उसने भाई की प्रेमिका और उसकी मां व छोटे बेटे को अपने साथ दहेजवार गांव लाया। यहां पर कुल्हाड़ी मारकर तीनों की हत्या कर उनके शव को पानी से भरे खेत में फेंक दिया था। शव पानी में पड़े पड़े सड़ गल चुका था। पुलिस ने इस मामले में कुछ और संदेहियों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ जारी है।

## ग्राम सोनबरसा में खरसिया पुलिस की शराब रेड कार्यवाई: 10 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में अवैध शराब के खिलाफ अभियान के क्रम में, आज खरसिया पुलिस ने ग्राम सोनबरसा में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 10 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया।

मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर, पुलिस टीम ने ग्राम सोनबरसा से नहरपार में आरोपी मक्कर कुमार लोहार (31 वर्ष), निवासी सोनबरसा, को घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया। आरोपी के पास एक प्लास्टिक जरीकेन में 10 लीटर महुआ शराब मिला, जिसे आरोपी ने बिक्री के लिए ले जाना स्वीकार किया। जब्त शराब की कीमत करीब 2000 रुपये है।

थाना खरसिया में आरोपी मक्कर कुमार लोहार के खिलाफ धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया है। शराब रेड कार्यवाई में महिला प्रधान सरोजनी राठौर, आरक्षक सत्य नारायण सिदार, योगेश साहू और अशोक कंवर शामिल थे।

## जूटमिल पुलिस की शराब रेड कार्यवाई: 54 पाउच महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन पर अवैध शराब के खिलाफ जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में, 15 नवंबर 2024 को, जूटमिल पुलिस ने निरीक्षक मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में वार्ड क्र 34 अम्बेडकर नगर में शराब रेड कार्रवाई की गई।

मुखबिर से प्राप्त सटीक सूचना के आधार पर, टीआई जूटमिल मोहन भारद्वाज के साथ पुलिस टीम ने काशीराम चौक, अंबेडकर नगर में केशव प्रसाद बंजारे के मकान पर छापा मारा। छानबीन के दौरान मकान के आंगन में छिपाकर रखी गई महुआ शराब बरामद की गई। आरोपी केशव प्रसाद बंजारे (39 वर्ष) ने पूछताछ में अवैध शराब बिक्री के लिए रखने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 54 पारदर्शी पन्नी पाउच में पैकेट में कुल 9.720 लीटर महुआ शराब जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 1450 रुपये है। आरोपी के खिलाफ थाना जूटमिल में धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जूटमिल थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री पर सख्त नजर रखी जा रही है। आम जनता से अपील की है कि वे अवैध शराब या अन्य आपराधिक गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

## खरसिया क्षेत्र में अवैध महुआ शराब के साथ दो आरोपित गिरफ्तार

- पुलिसकर्मियों से अभद्रता पर भी मामला दर्ज

रायगढ़

खरसिया पुलिस ने अवैध शराब परिवहन और बिक्री पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 15 नवंबर 2024 को थाना खरसिया से प्रधान आरक्षक बिरीछराम साण्डे अपनी टीम के साथ माइनर एक्ट की कार्रवाई और देहात भ्रमण के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम भदरीपाली निवासी सोहन लाल डनसेना महुआ शराब लेकर परसापाली बेचने जा रहा है।

मुखबिर की सटीक सूचना पर प्रधान आरक्षक बिरीछराम ने आरक्षक मनोज भारती और योगेश साहू के साथ गवाहों को लेकर भदरीपाली-परसापाली मार्ग पर चौक के पास घेराबंदी की। कुछ देर बाद दो संदिग्ध व्यक्तियों को जरीकेन लेकर आते देखा गया। पूछताछ पर उन्होंने अपने नाम सोहन लाल डनसेना (40 वर्ष) और नारायण डनसेना (22 वर्ष), दोनों निवासी ग्राम भदरीपाली, बताया। उनके पास रखे जरिकेन में 9 लीटर महुआ शराब पाई गई, जिसकी कीमत 1800 रुपये है।

पुलिस कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपितों ने अवैध शराब परिवहन की बात स्वीकार की, लेकिन इसके बाद पुलिसकर्मियों से गाली-गलौज करने लगे। आरोपित नारायण डनसेना ने आरक्षक मनोज भारती के साथ अभद्रता और विरोध किया। इस घटना के बारे में आरक्षक मनोज भारती ने थाना प्रभारी खरसिया को आवेदन देकर जानकारी दी है।

थाना खरसिया पुलिस ने दोनों आरोपितों पर अवैध शराब परिवहन के लिए धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम और पुलिस कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने, गाली-गलौज व हाथापाई करने के लिए धारा 115(2), 132, 221, 296, और 3(5)-BNS के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने आज दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। खरसिया पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

## चक्रधरनगर पुलिस ने 19 लीटर महुआ शराब के साथ दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। थाना चक्रधरनगर क्षेत्र में निरीक्षक प्रशांत राव आहेर के नेतृत्व में पुलिस ने शराब रेड दो बड़ी कार्रवाई की।

पहली कार्रवाई में, चक्रधरनगर पुलिस ने ग्राम नवागांव बंगुरसिया में संतोष साहू के घर पर छापेमारी की। थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि संतोष साहू अपने घर के बाहर महुआ शराब रखकर बेच रहा है। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को दबोचा और उसके कब्जे से 12 लीटर महुआ शराब, जिसकी कीमत करीब 2400 रुपये थी, जब्त की। आरोपी संतोष साहू (28 वर्ष), ग्राम नवागांव बंगुरसिया, के खिलाफ धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

दूसरी कार्रवाई में, चक्रधरनगर पुलिस को मोबाइल फोन पर ग्राम गोपालपुर कोरियादादर में एक महिला द्वारा अवैध शराब बेचने की सूचना मिली। इस सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपित महिला बरत यादव (45 वर्ष) के कब्जे से 7 लीटर महुआ शराब, जिसकी कीमत 700 रुपये थी, जब्त की। महिला के खिलाफ भी धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इन दोनों शराब रेड कार्रवाई में निरीक्षक प्रशांत राव के साथ प्रधान आरक्षक संजय तिवारी, रवि साय, आरक्षक चंद्र कुमार बंजारे, मिनकेतन पटेल और महिला आरक्षक अनिता बेक की अहम भूमिका रही है। अवैध शराब पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे अवैध शराब या अन्य आपराधिक गतिविधियों के बारे में पुलिस को सूचित करें।

## विश्व पर्यटन मानचित्र में बस्तर के धुड़मारास गांव ने बनाई अपनी जगह

- संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित हुआ ग्राम धुड़मारास

रायपुर | आरएनएस

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के छोटे से गांव धुड़मारास ने देश और दुनिया में अपनी अनोखी पहचान बनाई है। बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देशों से चयनित 20 गांवों में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के धुड़मारास ने भी अपनी जगह बनाई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि के लिए पर्यटन विभाग की टीम के साथ ही बस्तर जिला प्रशासन तथा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि धुड़मारास की सफलता का मुख्य श्रेय यहां के स्थानीय निवासियों को जाता है, जिन्होंने अपने पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों को संरक्षित रखते हुए इसे आकर्षक पर्यटक स्थल में बदल दिया है। धुड़मारास प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर के अदभुत आदिवासी जीवनशैली, पारम्परिक व्यंजन, हरियाली और जैव विविधता से समृद्ध यह गांव पर्यटकों के लिए एक आकर्षक ही नहीं बल्कि रोमांचक स्थल है।

धुड़मारास गांव दुनिया भर के उन 20 गांवों में से एक है जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया है। धुड़मारास को इसकी अनूठी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और सतत पर्यटन विकास की क्षमता के कारण चुना गया है। उन्नयन कार्यक्रम में शामिल होने से गांव को उन संसाधनों तक पहुंच प्राप्त होगी जो इसके पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, सांस्कृतिक संपत्तियों को बढ़ावा देने और ग्रामवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार में मदद करेंगे। विश्व स्तर पर पर्यटन गांव के रूप में इस गांव की पहचान स्थापित होने का तात्पर्य यह भी है कि लंबे समय के बाद बस्तर में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। उल्लेखनीय है कि धुड़मारास तथा बस्तर के ही चित्रकोट गांव को इस वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला था।

प्रकृति की गोद में बसा धुड़मारास गांव घने जंगलों से घिरा हुआ है। गांव के बीच से बहती कांगेर नदी इसे मनमोहक बना देती है। बस्तर के लोग मेहमाननवाजी के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि स्थानीय लोग अपने घरों को पर्यटकों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवाने से उन्हें रोजगार मिल रहा है। गांव के युवा पर्यटकों को आसपास के क्षेत्रों की सैर कराते हैं। स्थानीय खानपान के अंतर्गत पर्यटकों को बस्तर के पारम्परिक व्यंजन परोसे जाते हैं।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक
आवश्यकता
इस संघ का गठनसमपूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुछ सी.डी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर ने एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।
उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा अधिकारिक नियुक्तियां की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।
मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।
पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार हितों एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।
अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, बच्चियों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विविध एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उनके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर सम्भव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन उच्च पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूल विचार पर मानव निर्माणों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।
पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
Address: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU